क्र० ₹/1714/09
दि० 26/10/09

प्रपत्र क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **05/22/06/08292/09**

यह प्रमाणित किया जाता है कि सत्या बहुउद्देशीय सेवा समिति समिति जो वार्ड मोह वार्ड क 3 मऊगंज तहसील मऊगंज जिला रीवा में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 26/09/2009 को पंजीयित की गई है।

दिनांक छब्बीस माह सितम्बर सन् 2009

15.10.09

समितियों के रजिस्ट्रार
(एम० जे० कुरैशी)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं
रीवा संभाग रीवा

4 समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध शासक परिषद संचालकों सभा या शासी–निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम पते तथा धंधों का उल्लेख निम्नांकित है:–

क्र (1)	नाम पिता/पति का नाम (2)	पद (3)	पूर्ण पता / वार्ड क्र. (4)	धन्धा (5)
1	सरिता सिंह W/O श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	अध्यक्ष	चाक मोड़, पानी टंकी के पास वार्ड क्र०-3, अ०+त०-मऊगंज, जिला-रीवा	कृषि
2	श्रीमती अनीता सिंह W/O श्री महेन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष	चाक मोड़, एल० आई० सी० आफिस के पास, वार्ड क्र० 3 त० मऊगंज, जिला-रीवा	कृषि
3	कुलभूषण सिंह S/O श्री भुनेश्वर सिंह	सचिव	चाक मोड़, पानी टंकी के पास वार्ड क्र० 3, अ०+त०-मऊगंज, जिला-रीवा	कृषि
4	[illegible] सोनी S/O श्री बाबूलाल सोनी	कोषाध्यक्ष	एन० एच० 7, पो० आफिस के पास, वार्ड क्र०-4, अ०+त०-मऊगंज, जिला-रीवा	कृषि
5	विपिन कुमार मिश्रा S/O श्री अनिरुद्ध मिश्रा	सहसचिव	वार्ड क्र०-2, हनुमान मन्दिर के पास, अ०+त०-मऊगंज जिला-रीवा	कृषि
6	राजधर मुड़हा S/O रामभक्ति मुड़हा	सदस्य	ग्रा० मुदरिया चौबान पो० मऊगंज, त० मऊगंज जिला-रीवा	कृषि
7	आफताब खान S/O दिलबर खान	सदस्य	वार्ड क्र०-9, मोहल्ला-भऊ बगदरा, त०-मऊगंज, जिला-रीवा	कृषि

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1973 का 44)की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम अनेक व्यक्ति ,जिनके नाम और पते नीचे लिखे है , समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है।

क्र. (1)	निर्माण कर्ताओ के नाम,पूर्ण पते पिता /पति का नाम सहित/वार्ड क. (2)	हस्ताक्षर (3)
1	सरिता सिंह S/O श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, चाक मोड़, पानी टंकी के पास, वार्ड क्र0- 3, ग्रा0+त0- मऊगंज, जिला- रीवा	~~[signature]~~ सरिता सिंह
2	कुल भूषण सिंह S/O श्री मंगलेश्वर सिंह, चाक मोड़, पानी टंकी के पास, वार्ड क्र0- 3, ग्रा0+त0- मऊगंज, जिला- रीवा	[signature]
3	बृजेश सोनी S/O श्री बाबूलाल सोनी, एन0एच0-7, पोस्ट ऑफिस के पास, वार्ड क्र0-6, त0- मऊगंज, जिला- रीवा	Bsoni
4	बिपिन मिश्रा S/O श्री अनिरुद्ध मिश्रा, वार्ड क्र0-2, हनुमान मन्दिर के पास, ग्रा0+त0- मऊगंज, जिला- रीवा	bipin
5	अनीता सिंह W/O महेन्द्र सिंह, चाक मोड़, एल0आई0सी0 ऑफिस के पास, वार्ड क्र0-3, त0- मऊगंज, जिला- रीवा	अनीता
6	राजधर मुड़हा S/O श्री रामपति मुड़हा, ग्रा0- मुदरिया चौराहा पो0- मऊगंज, त0- मऊगंज, जि0- रीवा	राजधर
7	आफताब खान S/O दिलशेर खान, वार्ड क्र0-9, मोहल्ला- मऊबाजदरा, त0- मऊगंज जिला- रीवा	आफताब
8		
9		
10		

जो अनावश्यक हो उसे काटिये।

साक्षी

[illegible]

[signature]
(श्रीमती [illegible] पुरकाम)
सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं
रीवा संभाग, रीवा

हस्ताक्षर [signature]

नाम जय प्रकाश मिश्रा

पूर्ण पता S/O राजकमल मिश्रा, वार्ड क्र0- 7, गायत्री मन्दिर के पास, ~~पो0~~ मऊगंज, त0- मऊगंज, जिला- रीवा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 33AA 435145

छायाप्रति के साथ संलग्न

सत्यं बहुउद्देशीय सेवा समिति

वार्ड क्र० 3 मऊगंज तह० मऊगंज जिला

पंजीयन क्र० 8292 दि० 6/9/2009

(श्रीमती ... पुरकाम)

सहायक पंजीयक-फर्म्स एवं संस्थाएं

1996/12
13/12/12

नियमावली

(1) समिति का नाम:- सत्या बहुउद्देशीय सेवा समिति होगा।

(2) समिति का कार्यालय :- मऊगंज तहसील मऊगंज

जिला रीवा म.प्र. में स्थित होगा।

(3) समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण म०प्र० म.प्र. होगा।

(4) समिति का उद्देश्य:-

(1) महिला एवं बाल विकास, छात्र, छात्राओं को निः शुल्क शिक्षा, पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराना। अनाथालय, विधवा आश्रम, एवं युवाओं को संगठित कर देश हित में कार्य।

(2) प्रदूषण नियन्त्रण, वृक्षा रोपण, एवं सामाजिक वानिकी चालन। कम्प्यूटर शिक्षा का एवं तकनीकी संचालन करना।

(3) प्रौढ़ शिक्षा एवं महिला जागृति अभियान का संचालन करना।

(4) ग्रामीण एवं सहरो क्षेत्रो में स्वच्छता अभियान संचालन करना।

(5) शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग प्रदान करना।

(6) गो रक्षा में सहयोग एवं जल संसाधन में सहयोग, पुस्तकालय की स्थापना।

(7) एड्स जागरूकता, वृद्धावस्था आश्रम एवं बाल आश्रम में सहयोग करना।

(8) प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा का संचालन।

विशेष:- उद्देश्यों का क्रियान्वयन शासन के सम्बंधित विभाग से पूर्व अनुमति / मान्यता आदि प्राप्त कर ही किया जावेगा। व अनुमति के पूर्व समिति में सदस्य बनने / विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु समिति के नाम व उद्देश्यों आदि का प्रचार प्रसार नही किया जावेगा

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
सरिता सिंह		

Scanned with OKEN Scanner

(5) सदस्यता :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें:–

(अ) संरक्षण सदस्य :–संस्था को जो व्यक्ति शुल्क के रूप में रूपये 1000=00 या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था के शुल्क के रूप में रूपये 500=00 या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा, कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 500=00 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य :– जो व्यक्ति रूपये 10=00 माह रूपये 120=00 प्रतिवर्ष संस्था को शुल्क के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा जिसके लिये उसने शुल्क दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक शुल्क नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी ऐंसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया शुल्क की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्मानीय सदस्य :– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियो को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(6) सदस्यता की प्राप्तिः–प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिंसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

(7) सदस्यो की योग्यता :– संस्था के सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:–

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो (2) भारतीय नागरिक हो (3) समिति के नियमो के पालन की प्रतिज्ञा की हो (4) सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
सरिता सिंह	[signature]	[signature]

(8) सदस्यता की समाप्ति :–संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त होजावेगी (1)मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था को देय शुल्क की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर (5)चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज कियेजावेंगे:–

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय एवं तारीख सहित हस्ताक्षर।

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो वह रसीद नं.।

(3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो ।

(10) (अ) साधारण सभा – साधारण सभा मे नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी बैठक का कोरम 3/5 सदस्यो का होगा संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी. उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा . यदि संबधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन मे एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :– प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी. बैठक मे कोरम 1/2सदस्यों की होगी .यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
सरिता सिंह		

Scanned with OKEN Scanner

तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्तें न होंगी।

(स) विशेष :– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी. विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा. पंजीयक को इस संबध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य–(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना (ख) संस्था की स्थाई निधि व संम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रको को स्वीकृत करना (छ) वजट का अनुमोदन करना

(12) प्रबंधकारिणी का गठन :– ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य रहेंगें नियम 5 अ,ब,स में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक मे बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा– (1)अध्यक्ष (2)उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5)संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2 (दो)

(13) प्रबंध समिति का कार्यकाल :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता , करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष सरिता शिंदे	सचिव [signature]	कोषाध्यक्ष [signature] B. Soni

Scanned with OKEN Scanner

14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

(अ) जिन उददेश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना,संस्था की चल-अचल संपति पर लगाने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों ,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ,।

(इ) अन्य आवश्यका कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपें जायें।

(च) संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति ,रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नही की जायेगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक मे उसकी स्वीकृत हेतु प्रसूत करेगी साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(15) अध्यक्ष का अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति के समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करावेगा अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों मे निर्णयात्मक होगा ।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार:- अध्यक्ष की अनुमति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार :-

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय समय पर बुलाना और समस्तआवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

(2)समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

(3) समिति क सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना, उनका निरीक्षण करना व नियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय मे रूपये 5000=00 करने का अधिकार होगा।

(18) कोषाध्यक्ष के अधिकार:– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

संयुक्त सचिव के अधिकार:– सचिव की अनुपस्थिति मे सचिव का कार्य करना।

(19) बैंक खाता:– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोष्ट ऑफिस में रहेगी धन कर आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 50000=00 रहेंगे।

(20) पंजीयक को भेजे जाने वाली जानकारी :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क एवं प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात 90 दिवस के भीतर मानी जावेगी ।

(21) संशोधन :– संस्था के विधान मे संशोधन साधारण सभा की बैठक मे कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित मे उनके पंजीकृत विधान मे संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

(22) विघटन :– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उददश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी,उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार की जावेगी।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
सरिता सिंह		B. Soni

(23) संम्पत्ति :– संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी। वर्तमान में शून्य बहुउद्देशीय सेवा समिति समिति के नाम से कोई चल–अचल सम्पति नही है।

(24) बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोष्ट आफिस मे खोला जावेगा एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

(25) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियो द्वारा वार्षिक बैठक में बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा साथ ही यह बैठक मे विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेंगा।

(26) विवाद :– संस्था मे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा, यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे, रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

(27) विशेष :– उददेश्यों का कियान्वयन शासन के संबन्धित विभाग से पूर्व अनुमति /मान्यता आदि प्राप्त कर ही किया जावेगा व अनुमति के पूर्व समिति में सदस्य बनने /विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु समिति के नाम व उददेश्यो आदि का प्रचार–प्रसार नहीं किया जावेगा।

—//////////—

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
सरिता सिंह	[signature]	[signature]

विधान की प्रमाणित प्रति

(श्रीमती मंगला पुरकाम)
सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं
रीवा संभाग, रीवा

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

39AA 911181

विधान के साथ सलग्न
आशा बहुउद्देशीय सेवा समिति
पाक मोड़ वार्ड क्र-3 मऊगंज तह मऊगंज जिला [illegible]
पंजीयन क्र० 2292 दि० 6/9/2009

(सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं [illegible] रीवा संभाग रीवा)

[illegible]

Mungla

(श्रीमती मंगला [illegible])
सहायक पंजीयक-फर्म्स एवं संस्थाएं
रीवा संभाग, रीवा

(श्री साँई प्रा० आई० टी० [illegible])